

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 86 / 2024  
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 102

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम  
बांसवाड़ा (राज)

श्री कल्पेश कलाल पुत्र श्री अमृत लाल कलाल  
निवासी टामटिया आडा, बांसवाड़ा (विक्रेता/  
मालिक) मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा,  
बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 02-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 25-07-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03-01-2024 को 5.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कल्पेश कलाल पुत्र श्री अमृत लाल कलाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) के 40 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम का विक्रय हेतु रखे थे। उक्त खाद्य पदार्थ गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम कुल 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम वजनी के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,





न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)  
बांसवाड़ा (राज.)

बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1703** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म नं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागों को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/64 दिनांक 06-02-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 104 दिनांक 16-01-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) का नमूना कोड क्रमांक **W-1703** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। उक्त नमूने की जांच रिपोर्ट के विरुद्ध विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जांच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील की गई जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबार कर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जांच रिपोर्ट 409एफ/ एफएसएसए/ 2024 दिनांक 02-05-2024 के तहत नमूना 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विक्रेता द्वारा मिस ब्राण्डेड गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 30-07-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।




  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला क्लरक)  
बांसवाडा (राज.)

दिनांक 02-09-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/64 दिनांक 06-02-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 104 दिनांक 16-01-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) का नमूना कोड क्रमांक **W-1703** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। उक्त नमूने की जांच रिपोर्ट के विरुद्ध विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जांच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारावार कर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रैफरल फुड लेव मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जांच रिपोर्ट 409एफ/ एफएसएसए/ 2024 दिनांक 02-05-2024 के तहत नमूना 3(1)(zi) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा मिस ब्राण्डेड गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zi) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया गरम मसाला (आर.एच.आई कुसुम) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री कल्पेश कलाल पुत्र श्री अमृत लाल कलाल निवासी टामटिया आडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा, बांसवाडा (राज.) को रूपये 2000/- (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम

2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,



खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
(विक्रय कर) विभाग  
बांसवाडा (राज.)

04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 02-09-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)  
न्याय निर्णय अधिकारी  
(अति० जिला न्यायालय)  
बांसवाड़ा (राज.)